(c) if not, the reasons for neglecting this section?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Due to low traffic density, constraint of resources and relative priority for electrification of other high density routes, there is, at present, no proposal to electrify Barasat-Hasnabad section.

Work-load in Hubli Work shop of Railways

2870. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Hubli Work Shop the workload has come down due to phasing out of steam engines and conversion programme from Metre gauge to Broad gauge;

(b) what is workers' strength and how many of them are being considered to be transferred out-side; and

(c) whether Government are considering to diversify and modernise the activities of the workshop to meet the present day needs of Railways and also to protect interests of the workers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) Workers' strength of Hubli Work Shop is 3745. There is currently no proposal to transfer any workers outside.

(c) It is proposed to conduct a survey for examining the feasibility of diversifying the activities of Hubli Workshop.

ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और दिहाड़ी कामगारों को पुनः रोजगार दिया जाना

2871. **श्री अजीत जोगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भाप इंजिनों को हटाए जाने के कारण फालतू होने वाले ठेका श्रमिकों और नैमित्तिक कामगारों को पुनः काम पर लगाए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ख) क्या लोको शैड में कोयला और राख को उठाने-रखने से संबंधित कार्य का स्वरूप स्थायी था ;

(ग) क्या भाप इंजनों में कोयला और राख को उठाने-रखने से संबंधित कार्य करने वाले ठेका मजदूरों को पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी रेलवे में रेलवे कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी रेलवे सहित अन्य रेलवे मण्डलों में इन कामगारों को नियुक्त न किए जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. सी. लेंका): (क) दिहाड़ी मजदूरों को भाप इंजनों से संबंधित कार्यकलापों में लगाने की कोई परिपाटी नहीं है, जहां तक ठेकेदारों के श्रमिकों का संबंध है ये ठेकेदारों के कर्मचारी होते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति रेलों का दायित्व नहीं है ।

(ख) जी नहीं, यद्यपि यह काम कई वर्षों से चला आ रहा है परंतु यह नियमित प्रकृति का काम नहीं है और दिन-प्रतिदिन इसकी मात्रा में बहुत अधिक कमी-बेशी होती रहती है और अबतो भाप कर्षण को अधिकांशतः समाप्त कर दिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।